91

संख्या– — /XXXVI(1)/2013–12–एक(4)/2003

प्रेषक,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
लोक सेवा अधिकरण,
316, फेज–II, बसन्त विहार,
देहरादून।

न्याय अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 8 मार्च, 2013

विषय : भवन किराये पर लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–61/लो0से0अधि0/देहरादून दिनांक 13–02–2013 का सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल लोक सेवा अधिकरण की खण्डपीठ नैनीताल के न्यायालय उपयोगार्थ श्री पुस्किन फर्त्याल हाउस, मल्लीताल, नैनीताल के भूतल स्थित भवन जिसका कारपेट एरिया 1500 वर्गफीट है, ₹ 20/– (₹ बीस रूपये मात्र) प्रति वर्गफीट की दर से किराये पर लिये जाने हेतु निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1. भवन का वास्तविक कारपेट एरिया लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होना चाहिए।
2. किराया भवन स्वामी के साथ की जाने वाली डीड में यह यह शर्त सम्मिलित की जाय कि भवन कम से कम अगले 05 वर्ष तक खाली नही कराया जायेगा और न ही इस अवधि में किराये में कोई बढोत्तरी की जायेगी।
3. 05 वर्ष के उपरान्त भी यदि इसी भवन को किराये पर लिया जाता है, तो भवन किराया बढोत्तरी नियमानुसार अनुमन्य होगी।
4. भवन चयन निर्धारित प्रक्रियानुसार किया गया।
5. भवन स्वामी भवन में न्यायालय कक्ष अथवा अन्य आवश्यक निर्माण, संशोधन व संवर्धन करने पर अपनी सहमति देंगे।
6. उक्तानुसार भवन स्वामी से लीज डीड निष्पादित कर शासन की सहमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

2– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–539/XXVII(7)/2010 दिनांक 14–05–2010 तथा शासनादेश सं0–562/XXVII(7)/2010 दिनांक 24–05–2010 में प्रतिनिधानित अधिकारो के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(डी0 पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

क्रमश.....2

संख्या– 50 (1)/XXXVI(1)/2013–12–एक(4)/2003 तददिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
3– वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
4– एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव